>

Title: Need to replace the New Pension Scheme with the old Pension scheme.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं सरकार का ध्यान पेंशन, अंशदान विनियामक और विकास अधिकार बिल, 2011 में किए गए प्रावधानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बिल में किए गए प्रावधानों को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते देश भर में प्रबल विरोध प्रदर्शन, रैलियां और हड़तालें हो रही हैं। नए बिल के अनुसार वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ते का 20 प्रतिशत काटकर उस धनराशि को शेयर बाजार में लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह बिल अभी लोक सभा में लंबित है। इस बिल के अनुसार सरकार यह तक कहने की स्थिति में नहीं है कि कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी और सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद रिटर्न भुगतान की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है एवं इसे केवल मार्केट के ऊपर ही छोड़ा जा रहा है।

इस बिल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनका विरोध किया जा रहा है जैसे पेंशन पूंजी की धनराशि शेयर मार्केट में निवेशित किया जाना तथा कर्मचारी को अपने सेवाकाल के दौरान किसी भी रूप में पैसा निकालने का अधिकारी नहीं होगा अर्थात् आकस्मिकता के लिए उचित व्यवस्था नहीं है।

स्पष्टतया, कर्मचारियों द्वारा जमा धनराशि को निजी कंपनियों के शेयर खरीदने में प्रयोग किए जाएंगे तथा इसके रिटर्न की गारंटी नहीं होगी किंतु बाजार जोखिम पर निर्भर होगा। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार-चढ़ाव के अनुसार कर्मचारियों की पेंशन पूंजी में हमेशा उतार-चढ़ाव का जोखिम बना रहेगा। सर्वविदित है कि आज पूरा विश्व मंदी की चपेट में है, अमेरिका की 40 से अधिक कंपनियां विघटित हो चुकी हैं, 100 से भी अधिक वर्ष पुराने बैंक दिवालिया हो गए हैं। क्या कर्मचारी उतार-चढ़ाव को झेल पाएगा ?

मैं सरकार का ध्यान एक और पहलू की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि नई पेंशन योजना की घोषणा सरकार द्वारा अगस्त, 2003 में की गई थी, जोकि कभी भी सदन के समक्ष विचार करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी क्रम में सरकार द्वारा बिना संसद में बिल पास कराए पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया, जोकि आज पूरे देश में काम कर रही है और राज्य सरकारें उसके निर्देशों का भी पालन कर रही है। यदि सरकार ऐसा करने के लिए स्वयं अधिकृत है, तो इसे बिल के रूप में क्यों लायो जा रहा है ?

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि नई पेंशन व्यवस्था को खारिज किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए और देश और प्रदेशों के कर्मचारियों से अब तक काटी गई धनराशि जी.पी.एफ. खाते में ब्याज सहित जमा कराई जाए।